an>

Title: The Minister of Home Affairs made a statement regarding incidents occurred in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh on 7th and 8th March, 2017.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, 7 व 8 मार्च, 2017 को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुए घटनाक्रम के संबंध में स्टेटमेंट देने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदया, प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 7 मार्च, 2017 को प्रातः 9 बजकर 41 मिनट पर मध्य प्रदेश के जिला शाजापुर में रेलवे स्टेशन जबड़ी के नजदीक गाड़ी नम्बर 59320, भोपाल-उज्जैन पैसेंजर के जनरल कोच में एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 10 रेलयात्रियों को चोटें आई और रेलवे की सम्पति को भी नुकसान पहुंचा। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वर्तमान में सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है।

उक्त घटना के संबंध में थाना जी.आर.पी. उज्जैन में ट्रेन गार्ड की रिपोर्ट पर अपराध संख्या 47/17 धारा 3, 4 एक्सप्लोसिव सब्सटैंसेज़ ऐक्ट के अंतर्गत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया।

घटना की सूचना प्राप्त होते ही मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे तथा प्रकरण के इंवेस्टीगेशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की। घटनास्थल के प्रारंभिक निरीक्षण से संकेत मिला कि अपराधियों द्वारा विस्फोट के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विस्फोटक पदार्थों से तैयार किए गए आई.ई.डी. का उपयोग किया गया था।

घटना के अन्वेषण के संबंध में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा केन्द्रीय एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया गया। तदोपरान्त प्राप्त आसूचना के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा होशंगाबाद जिले के पिपरिया नामक स्थान पर वाहन चैकिंग के दौरान तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। संदेहियों से की गई पूछताछ में उपरोक्त घटना में उनकी सहभागिता स्पÂट होने से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण का अग्रिम अन्वेषण केन्द्रीय एजेंसियों के समन्वय से किया जा रहा है तथा अभियुक्तों के अन्य सम्पर्क सूत्रों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

संदेहियों से की गई पूछताछ तथा अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लखनऊ, इटावा, कानपुर व औरैया में विभिन्न स्थानों पर कार्यवाही की गई।

लखनऊ में काकोरी थानान्तर्गत हाजी कॉलोनी स्थित एक मकान में कानपुर निवासी मोहम्मद सैफुल्लाह उर्फ अली के किराये पर रहने की सूचना प्राप्त हुई। ए.टी.एस. उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त मकान की घेराबंदी की गई और संदेही सैफुल्लाह को गिरफ्तार करने के भरसक प्रयास किए गए। परन्तु उसके द्वारा आत्मसमर्पण करने से इंकार किया गया व ए.टी.एस. टीम पर फायरिंग की गई। अंततः लगभग 12 घंटे के अथक प्रयास के पश्चात ए.टी.एस. टीम द्वारा सैफुल्लाह के कमरे में प्रवेश किया गया तथा आमने-सामने हुई मुठभेड़ में इस संदिग्ध आतंकी को मार गिराया गया। मृतक के कमरे से आठ पिस्टल, 630 जिंदा तारतूस तथा अन्य सामग्री जिसमें डेढ़ लाख रुपए नकद, लगभग 45 ग्राम सोना, तीन मोबाइल फोन, चार सिमकार्ड, दो वॉकी-टॉकी सेट और कुछ विदेशी मुद्रा सम्मिलित है, बरामद की गई।

घटना के संबंध में थाना- ए.टी.एस., लखनऊ में अपराध संख्या 2/2017, धारा 307/121ए/122/123/124ए, आई.पी.सी. और 3/4/25/27 आर्म्स ऐक्ट 16/18/23 यू.ए.पी.ए. के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ए.टी.एस. कानपुर द्वारा जाजमउ थाना क्षेत्र से एक अन्य संदेही को गिरफ्तार किया गया जिसके विरूद्ध अपराध संख्या 3 / 2017 धारा 121 / 121A, / 123 / 124A आई. पी. सी तथा यू.ए.पी.ए. की धारा 16 / 18 / 23 / 38 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त A.T.S. उत्तर प्रदेश द्वारा दो अन्य अभियुक्तों जिनमें से एक इटावा व एक औरैया से है, को भी उपरोक्त संदिग्ध आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 6 गिरफ्तारियाँ इस पूरे घटनाक्रम में हुई हैं।

उपरोक्त संपूर्ण घटनाक्रम राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय का एक उत्तम उदाहरण है। दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए देश की सुरक्षा पर उत्पन्न संभावित खतरे को टालने में सफलता प्राप्त की गई है। इस पूरे प्रकरण की जाँच एन.आई.ए. से कराई जाएगी।

अध्यक्ष महोदया, यहाँ पर मैं इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस मारे गए सैफुल्लाह के पिता से मिली और उसने सैफुल्लाह की लाश उन्हें हैंड-ओवर करने की बात कही, तो सैफुल्लाह के पिता मोहम्मद सरताज ने यह स्टेटमेन्ट दिया कि "जो देश का न हुआ, वो मेरा कैसे हो सकता है। उसने कोई सही काम तो किया नहीं है। मुझे उसका मरा हुआ मुँह तक नहीं देखना है।" उन्होंने आगे कहा है कि "मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की और परिवार को पाला है, लेकिन सैफुल्लाह ने मुझे शर्मिंदा कर दिया।" सैफुल्लाह के पिता मोहम्मद सरताज कहते हैं कि हर किसी के लिए देश पहले है। सैफुल्लाह देश का नहीं हो सका, इसलिए वह मेरा भी नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं सैफुल्लाह के पिता के प्रति सरकार की तरफ से पूरी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पूरा सदन सैफुल्लाह के पिता के प्रति सहानुभूति व्यक्त करेगा। उन्हें ऐसे बेटे की देशद्रोही हरकतों के कारण अपनी औलाद को खोना पड़ा है। इतना ही नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि मोहम्मद सरताज जैसे लोगों के ऊपर सरकार को भी नाज है और पूरे सदन को भी निश्चित रूप से नाज होगा। हम लोगों के लिए यह गौरव का विÂाय है।

अध्यक्ष महोदया, मैंने यहाँ इसका उल्लेख करना आवश्यक समझा, इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया है।